

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)



परीक्षा शाखा

सं.मानु/परीक्षा-I/मि.501/2019/3612

23 फरवरी, 2019

परिपत्र

विषय- मानु - परीक्षा शाखा - शिक्षा का माध्यम और परीक्षाओं के संबंध में।

संदर्भ- विश्वविद्यालय अध्यादेश 'शिक्षा का माध्यम और परीक्षाएँ (अधिनियम एस 27(सी)(जी))।

यह सूचित किया जाता है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार, शिक्षा का माध्यम उर्दू है। विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक अध्यादेश (3) के अनुसार तैयार किया गया और भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या MANUU / Admin.I / F.1 / 2006-07 / 716 दिनांक.7 अप्रैल 2005 को अधिसूचित किया गया :

" सभी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र उर्दू भाषा में ही सेट(तैयार) होंगे तथा उत्तर भी उर्दू भाषा में ही लिखना होगा। इस शर्त पर कि भाषा की सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और उत्तर संबंधित भाषाओं में ही लिखे जाएँगे। "

2. उपरोक्त अध्यादेश, और सांविधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बार बार कहा गया है कि सभी प्रश्न पत्र उर्दू में होंगे और छात्र अरबी, अंग्रेज़ी, हिन्दी और फ़ारसी जैसी भाषाओं को छोड़कर उर्दू में उत्तर लिखेंगे। यदि कोई छात्र उर्दू में उत्तर लिखने में विफल रहता है, तो उसे कोई अंक नहीं दिया जाएगा।

3. अतः सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/ पॉलिटिकल और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों/ शैक्षिक विभागों/ संस्थानों/ क्षेत्रीय निदेशकों / उप क्षेत्रीय निदेशक यह सूचना छात्रों के ध्यान में लाए।

स. क. मिर्ज़ा
कुलसचिव

सेवा में

सभी शैक्षिक विभाग / संस्थान

प्रति:

निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र(वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ)

निदेशक, प्रवेश (प्रावधानों को विश्वविद्यालय विवरणिका के अंतर्गत चिन्हित करने के अनुरोध के साथ)

निदेशक, डीडीई (प्रावधानों को विश्वविद्यालय विवरणिका के अंतर्गत चिन्हित करने के अनुरोध के साथ)